	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
सत्यमेव जयते	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
	चैत्र 17, गुरूवार, शाके 1944-अप्रेल 7, 2022 *Chaitra 17, Thursday , Saka 1944- April 7, 2022*	

भाग-4(क)

राजस्थान विधान मण्डल के अधिनियम।

विधि (विधायी प्रारूपण) विभाग

(ग्रुप-2)

अधिसूचना

जयपुर, अप्रेल 6, 2022

संख्या प.2(14)विधि/2/2022.- राजस्थान राज्य विधान-मण्डल का निम्नांकित अधिनियम, जिसे राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 5 अप्रेल, 2022 को प्राप्त हुई, एतद्द्वारा सर्वसाधारण की सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है:-

राजस्थान राज्य अनु सूचित जाति और अनु सूचित जनजाति विकास निधि (योजना, आबंटन और वित्तीय संसाधनों का उपयोग) अधिनियम, 2022

(2022 का अधिनियम संख्यांक 8)

(राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 5 अप्रेल, 2022 को प्राप्त हुई)

वार्षिक बजट में कतिपय रकम को अनु सूचित जाति विकास निधि और अनु सूचित जनजाति विकास निधि के रूप में निश्चित करके राज्य में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के त्वरित विकास को सुनिश्चित करने, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को प्रत्यक्ष और परिमाणात्मक फायदे सुनिश्चित करने और उन निधियों का उपयोग फोकस सेक्टरों में अपेक्षित संस्थागत तंत्र को सृजित करने के लिए और उनसे संसक्त या आनुषंगिक मामलों का उपबंध करने के लिए अधिनियम।

भारत गणराज्य के तिहत्तरवें वर्ष में राजस्थान राज्य विधान-मण्डल निम्नलिखित अधिनियम बनाता है:-

अध्याय 1

प्रारंभिक

1. संक्षिप्त नाम, प्रसार और प्रारंभ.- (1) इस अधिनियम का नाम राजस्थान राज्य अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति विकास निधि (योजना, आबंटन और वित्तीय संसाधनों का उपयोग) अधिनियम, 2022 है।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण राजस्थान राज्य में है।

(3) यह ऐसी तारीख से प्रवृत्त होगा, जो राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे और इस अधिनियम के भिन्न-भिन्न उपबंधों के लिए भिन्न-भिन्न तारीखें नियत की जा सकेंगी।

2. परिभाषाएं.- इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

(क) "वार्षिक बजट" से राज्य विधान मण्डल द्वारा यथा अनुमोदित राज्य का कुल स्कीम व्यय बजट अभिप्रेत है;

(ख) "विभाग" से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण और विकास के लिए स्कीमों के कार्यान्वयन से संबंधित राज्य सरकार का कोई विभाग अभिप्रेत है;

(ग) "सशक्त समितियां (स.स.)" से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के विकास के लिए धारा 7 के अधीन गठित राज्य स्तरीय समितियां अभिप्रेत हैं;

(घ) "विकास में अंतराल" से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के विकास सूचकों की जब राज्य के औसत से तुलना की जाये तो उनका अंतर अभिप्रेत है;

(ङ) "सरकार" से राजस्थान सरकार अभिप्रेत है;

(च) "नोडल विभाग" से राज्य सरकार का, अनुसूचित जातियों के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग और अनुसूचित जनजातियों के लिए जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग अभिप्रेत है;

(छ) "अधिसूचना" से राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना अभिप्रेत है और शब्द 'अधिसूचित' का तदनुसार अर्थ लगाया जायेगा;

(ज) "विहित" से इस अधिनियम के अधीन बनाये गये नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है;

(झ) "अनुसूचित क्षेत्रों" से भारत के संविधान की पांचवीं अनुसूची के भाग ग के अधीन अनुसूचित क्षेत्रों के रूप में घोषित क्षेत्र अभिप्रेत हैं;

(ञ) "अनुसूचित जातियों" और "अनुसूचित जनजातियों" का भारत के संविधान के अनुच्छेद 366 के खण्ड (24) और (25) के अधीन क्रमश: समनुदेशित अर्थ होगा;

(ट) "अनुसूचित जाति विकास निधि (अ.जा.वि.नि.) और अनुसूचित जनजाति विकास निधि (अ.ज.जा.वि.नि.)" से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के त्वरित विकास के लिए धारा 3 के अधीन वार्षिक बजट में यथा निश्चित कतिपय रकम अभिप्रेत है;

(ठ) "अनु सूचित जाति उप-योजना (अ.जा.उ.यो.)" से राजस्थान विनियोग अधिनियम में यथा उपबंधित मांग संख्या-51 और लघु शीर्ष-789 के अधीन राज्य का कुल स्कीम व्यय बजट अभिप्रेत है;

(ड) "राज्य" से राजस्थान राज्य अभिप्रेत है;

(ढ) "राज्य परिषदों" से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के विकास के लिए, धारा 5 के अधीन गठित राज्य परिषदें अभिप्रेत हैं; और

(ण) "जनजाति उप-योजना (ज.जा.उ.यो.)" से राजस्थान विनियोग अधिनियम में यथा उपबंधित मांग संख्या-30 और लघु शीर्ष-796 के अधीन राज्य का कुल स्कीम व्यय बजट अभिप्रेत है।

अध्याय 2

अनुसूचित जाति विकास निधि और अनुसूचित जनजाति विकास निधि के लिए कतिपय रकम का निशचित किया जाना और स्कीमों को तैयार किया जाना

3. अनुसूचित जाति विकास निधि और अनुसूचित जनजाति विकास निधि के लिए कतिपय रकम का निश्चित किया जाना.- (1) राज्य सरकार वार्षिक बजट में अनुसूचित जाति विकास निधि (अ.जा.वि.नि.) और अनुसूचित जनजाति विकास निधि (अ.ज.जा.वि.नि.) के लिए कतिपय रकम निश्चित करेगी।

(2) राज्य सरकार अनुसूचित जाति विकास निधि (अ.जा.वि.नि.) और अनुसूचित जनजाति विकास निधि (अ.ज.जा.वि.नि.) में रखे जाने वाली कुल रकम के लिए वर्षानुवर्ष आधार पर पृथक् आदेश जारी करेगी:

परन्तु अनुसूचित जाति उप-योजना (अ.जा.उ.यो.) और जनजाति उप-योजना (ज.जा. उ.यो.) आबंटन, वार्षिक बजट का अनुपात होगा जो राज्य की अनुसूचित जातियों (अ.जा.) और अनुसूचित जनजातियों (अ.जन.जा.) के जनसंख्या अनुपात के बराबर होगा।

4. स्कीमों को तैयार किया जाना और उनका अनुमोदन.- (1) विभाग अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के भीतर विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच विकास में साम्या की अभिवृद्धि करने के लिए अनुसूचित जाति विकास निधि (अ.जा.वि.नि.) और अनुसूचित जनजाति विकास निधि (अ.ज.जा.वि.नि.) के लिए प्रस्ताव तैयार करेंगे और नोडल विभागों को भेजेंगे।

(2) नोडल विभाग ऐसे विभागों से इस प्रकार प्राप्त प्रस्तावों का परीक्षण करेगा और अनुसूचित जाति विकास निधि (अ.जा.वि.नि.) और अनुसूचित जनजाति विकास निधि (अ.ज.जा.वि.नि.) के अधीन प्रस्तावों को सशक्त समितियों (स.स.) को उनके अनुमोदन के लिए प्रस्तुत करेगा।

(3) नोडल विभाग और लाइन विभाग ऐसी स्कीमों के लिए निधि का प्रस्ताव करेंगे जो अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को ऐसे प्रत्यक्ष और परिमाणात्मक फायदे सुनिश्चित करे जो इस अधिनियम के अधीन बनाये गये नियमों में यथा अधिकथित मानकों का अनुसरण करते हुए विकास सूचकों में अंतरालों को पाटने की संभावना रखते हैं।

(4) सशक्त समितियां (स.स.) इस अधिनियम के अधीन बनाये गये नियमों में अधिकथित मानकों के अनुसार अनुसूचित जाति विकास निधि (अ.जा.वि.नि.) और अनुसूचित जनजाति विकास निधि (अ.ज.जा.वि.नि.) के लिए स्कीमों का अनुमोदन करेंगी।

अध्याय 3
संस्थागत व्यवस्थाएं

5. राज्य परिषदें.- राज्य सरकार, इस अधिनियम और तदधीन बनाये गये नियमों के अधीन प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग और समनुदेशित कृत्यों का पालन करने के लिए, इस अधिनियम का प्रारंभ होने के पश्चात्, यथाशक्य शीघ्र, अधिसूचना द्वारा, मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में, राज्य परिषदों, यथा अनुसूचित जाति विकास निधि (अ.जा.वि.नि.) के लिए राज्य अनुसूचित जाति विकास परिषद् और अनुसूचित जनजाति विकास निधि (अ.ज.जा.वि.नि.) के लिए राज्य अनुसूचित जनजाति विकास परिषद्, का गठन करेगी। राज्य परिषदों में, राज्य विधान-मण्डल में की अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्यों की संख्या इतनी होगी, जो विहित की जाये।

6. राज्य परिषदों के कृत्य.- राज्य परिषदें,-

(क) अनुसूचित जाति विकास निधि और अनुसूचित जनजाति विकास निधि से संबंधित सभी नीतिगत मामलों पर राज्य सरकार को सलाह देंगी;

(ख) विभागों द्वारा स्कीमों की उचित योजना और कार्यान्वयन के लिए अध्युपाय सुझायेंगी; और

(ग) ऐसे अन्य कृत्यों का पालन करेंगी, जैसेकि विहित किये जायें।

7. सशक्त समितियां और नोडल विभाग.- (1) राज्य सरकार, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों, प्रत्येक के विकास के लिए सशक्त समितियों का गठन करेगी।

(2) प्रत्येक सशक्त समिति की अध्यक्षता मुख्य सचिव द्वारा की जायेगी।

(3) सशक्त समितियों का गठन ऐसा होगा, जैसाकि विहित किया जाये।

(4) (क) सचिव, सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग, अनुसूचित जातियों के विकास के लिए सशक्त समिति का संयोजक होगा।

(ख) सचिव, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, अनुसूचित जनजातियों के विकास के लिए सशक्त समिति का संयोजक होगा।

स्पष्टीकरण.- इस उप-धारा के प्रयोजन के लिए, "सचिव" से विभाग का प्रभारी शासन सचिव अभिप्रेत है और इसमें अतिरिक्त मुख्य सचिव और प्रमुख सचिव सम्मिलित है, जब वह किसी विभाग का प्रभारी हो।

(5) संबंधित नोडल विभाग संबंधित सशक्त समिति की, उनकी शक्तियों का प्रयोग करने और उनके कृत्यों का पालन करने में सहायता करेगा।

8. सशक्त समितियों के कृत्य.- संबंधित नोडल विभाग की सहायता से संबंधित सशक्त समिति,-

(क) अनुसूचित जाति विकास निधि (अ.जा.वि.नि.) और अनुसूचित जनजाति विकास निधि (अ.ज.जा.वि.नि.) के माध्यम से निधि उपलब्ध करवाने के लिए वि भिन्न लाइन विभाग द्वारा उद्भूत किये जाने वाले प्रस्तावित प्रस्तावों का मूल्यांकन और अंकन करेगी;

(ख) अनुसूचित जाति उप-योजना और जनजाति उप-योजना के कार्यान्वयन और मानीटरिंग का पुनर्विलोकन करेगी;

(ग) अड़चनों की पहचान करेगी और अड़चनों को दूर करने के लिए अध्युपाय सुझायेगी; और

(घ) ऐसे अन्य कृत्यों का पालन करेगी जैसेकि विहित किये जायें।

9. नोडल विभाग के लिए प्रशासनिक और तकनीकी सहायता इकाई.- राज्य सरकार नोडल विभागों को उन्हें समनुदेशित कृत्यों का पालन और कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए प्रशासनिक और तकनीकी सहायता इकाई के द्वारा, जो वि हित की जाये, समुचित रूप से मजबूत करेगी।

अध्याय 4

पारदर्शिता और जवाबदेही

10. पारदर्शिता और जवाबदेही.- प्रत्येक विभाग अनुसूचित जाति विकास निधि और अनुसूचित जनजाति विकास निधि के अधीन क्रियाकलापों के क्रियान्वयन में समस्त स्तरों पर पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करेगा।

11. वार्षिक रिपोर्ट.- नोडल विभाग अनुसूचित जाति विकास निधि और अनुसूचित जनजाति विकास निधि के क्रियान्वयन के परिणाम पर एक वार्षिक रिपोर्ट राज्य विधान-मण्डल के सदन के समक्ष रखेगा।

अध्याय 5

विविध

12. नियम बनाने की शक्ति.- (1) इस अधिनियम के अन्य उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकेगी।

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियम निम्नलिखित समस्त या इनमें से किन्हीं मामलों के लिए उपबंध कर सकेंगे, अर्थात्:-

(क) धारा 3 के अधीन अनुसूचित जाति विकास निधि (अ.जा.वि.नि.) और अनुसूचित जनजाति विकास निधि (अ.ज.जा.वि.नि.) के लिए कतिपय रकम निश्चित करना;

(ख) धारा 4 के अधीन स्कीमों और प्रस्तावों को तैयार करने और उनके अनुमोदन के लिए मानक;

(ग) धारा 5 के अधीन राज्य परिषदों का गठन;

(घ) धारा 7 के अधीन सशक्त समितियों का गठन; और

(ङ) धारा 9 के अधीन प्रशासनिक और तकनीकी सहायता इकाई।

(3) इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम, उसके इस प्रकार बनाये जाने के पश्चात्, यथाशक्य शीघ्र, राज्य विधान-मण्डल के सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, चौदह दिवस से अन्यून की कालावधि के लिए, जो एक सत्र में या दो या अधिक उत्तरोत्तर सत्रों में समाविष्ट हो सकेगी, रखा जायेगा और यदि, उन सत्रों की, जिनमें वह इस प्रकार रखा जाता है या ठीक अगले सत्र की समाप्ति के पूर्व राज्य विधान-मण्डल का सदन ऐसे नियम में कोई उपान्तरण करता है या यह संकल्प करता है कि ऐसा कोई नियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो तत्पश्चात् ऐसा नियम केवल ऐसे उपान्तरित रूप में प्रभावी होगा या, यथास्थिति, उसका कोई प्रभाव नहीं होगा, तथापि, ऐसा कोई भी उपान्तरण या बातिलकरण उसके अधीन पूर्व में की गयी किसी बात की विधिमान्यता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा।

13. कठिनाइयों का निराकरण करने की शक्ति.- (1) यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो राज्य सरकार, आदेश द्वारा, ऐसे उपबंध कर सकेगी या ऐसे निदेश दे सकेगी जो इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हों जो कठिनाई के निराकरण के लिए आवश्यक या समीचीन प्रतीत हों:

परन्तु इस धारा के अधीन ऐसा कोई भी आदेश इस अधिनियम के प्रारम्भ की तारीख से दो वर्ष की समाप्ति के पश्चात् नहीं किया जायेगा।

(2) इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश, उसके किये जाने के पश्चात्, यथाशक्य शीघ्र, राज्य विधान-मण्डल के सदन के समक्ष रखा जायेगा।

प्रवीर भटनागर,

प्रमुख शासन सचिव।

LAW (LEGISLATIVE DRAFTING) DEPARTMENT

(GROUP-II)

NOTIFICATION

Jaipur, April 6, 2022

No. F. 2(14)Vidhi/2/2022.- In pursuance of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to authorise the publication in the Rajasthan Gazette of the following translation in the English language of Rajasthan Rajya Anusoochit Jati Aur Anusoochit Janjati Vikas Nidhi (Yojna, Aabantan Aur Vittiya Sansadhanon Ka Upyog) Adhiniyam, 2022 (2022 Ka Adhiniyam Sankhyank 8):-

(Authorised English Translation)

THE RAJASTHAN STATE SCHEDULED CASTES AND SCHEDULED TRIBES DEVELOPMENT FUND (PLANNING, ALLOCATION AND UTILIZATION OF FINANCIAL RESOURCES) ACT, 2022

(Act No. 8 of 2022)

(Received the assent of the Governor on the 5th day of April, 2022)

An

Act

to ensure accelerated development of Scheduled Castes and Scheduled Tribes in the State by earmarking a certain amount in the Annual Budget for use as the Scheduled Castes Development Fund and Scheduled Tribes Development Fund to secure direct and

quantifiable benefits to Scheduled Castes and Scheduled Tribes and creating required institutional mechanism for use of these funds in focus sectors and for matters connected therewith or incidental thereto.

Be it enacted by the Rajasthan State Legislature in the Seventy-third Year of the Republic of India, as follows:-

CHAPTER I

Preliminary

1. Short title, extent and commencement.- (1) This Act may be called the Rajasthan State Scheduled Castes and Scheduled Tribes Development Fund (Planning, Allocation and Utilization of Financial Resources) Act, 2022.

(2) It extends to the whole of the State of Rajasthan.

(3) It shall come into force on such date as the State Government may, by notification in the Official Gazette, appoint, and different dates may be appointed for different provisions of this Act.

2. Definitions.- In this Act, unless the context otherwise requires,-

(a) "Annual Budget" means total scheme expenditure budget of the State as approved by the State Legislature;

(b) "Department" means any Department of the State Government, concerned with implementation of the schemes for the welfare and development of Scheduled Castes and Scheduled Tribes;

(c) "Empowered Committees (ECs)" mean the State Level Committees for the development of Scheduled Castes and Scheduled Tribes constituted under section 7;

(d) "Gaps in development" mean difference in development indicators of Scheduled Castes and Scheduled Tribes when compared to the state averages;

(e) "Government" means the Government of Rajasthan;

(f) "Nodal Department" means the Social Justice and Empowerment Department for Scheduled Castes and Tribal Area Development Department for Scheduled Tribes of the State Government;

(g) "notification" means the notification published in the Official Gazette and the word 'notified' shall be construed accordingly;

(h) "prescribed" means prescribed by rules made under this Act;

(i) "Scheduled Areas" mean areas declared as Scheduled Areas under Part C of Fifth Schedule to the Constitution of India;

(j) "Scheduled Castes" and "Scheduled Tribes" shall have the meaning assigned respectively under clauses (24) and (25) of article 366 of the Constitution of India;

(k) "Scheduled Castes Development Fund (SCDF) and Scheduled Tribes Development Fund (STDF)" means a certain amount as earmarked in the Annual Budget for accelerated development of Scheduled Castes and Scheduled Tribes respectively, under section 3;

(l) "Scheduled Castes Sub-Plan (SCSP)" means the total scheme expenditure budget of the State under Demand Number-51 and Minor Head-789 as provided in Rajasthan Appropriation Act;

(m) "State" means the State of Rajasthan;

(n) "State Councils" mean the State Councils for the development of Scheduled Castes and Scheduled Tribes constituted under section 5; and

(o) “Tribal Sub-Plan (TSP)” means the total scheme expenditure budget of the State under Demand Number-30 and Minor Head-796 as provided in the Rajasthan Appropriation Act.

Chapter II

Earmarking certain amount for Scheduled Castes Development Fund and Scheduled Tribes Development Fund and Preparation of Schemes

3. Earmarking certain amount for the Scheduled Castes Development Fund and the Scheduled Tribes Development Fund.- (1) The State Government shall earmark a certain amount in the Annual Budget for the Scheduled Castes Development Fund (SCDF) and Scheduled Tribes Development Fund (STDF).

(2) The State Government shall issue separate order for the total amount to be kept in Scheduled Castes Development Fund (SCDF) and Scheduled Tribes Development Fund (STDF) on year to year basis:

Provided that the Scheduled Caste Sub-Plan (SCSP) and Tribal Sub-Plan (TSP) allocation shall be proportion of Annual Budget, equal to population proportion of Scheduled Castes (SCs) and Scheduled Tribes (STs) of the State.

4. Preparation of Schemes and their approval.- (1) The Departments shall prepare and send proposals to Nodal Departments for the Scheduled Castes Development Fund (SCDF) and Scheduled Tribes Development Fund (STDF) to promote equity in the development among various social groups within the Scheduled Castes and Scheduled Tribes.

(2) The Nodal Department shall examine the proposals so received from the Departments and shall submit the proposals to the Empowered Committees (ECs) for their approvals under the Scheduled Castes Development Fund (SCDF) and Scheduled Tribes Development Fund (STDF).

(3) The Nodal Departments and line Departments shall prefer proposing fund for such schemes that secure direct and quantifiable benefits to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes that have the potential to bridge the Gaps in development indicators following the norms as may be laid down in the rules made under the Act.

(4) The Empowered Committees (ECs) shall approve the schemes for Scheduled Castes Development Fund (SCDF) and Scheduled Tribes Development Fund (STDF) as per the norms laid down in the rules made under the Act.

Chapter III

Institutional Arrangements

5. State Councils.- As soon as may be, after the commencement of this Act, the State Government shall, by notification, constitute State Councils viz. State Scheduled Castes Development Council for Scheduled Castes Development Fund (SCDF) and State Scheduled Tribes Development Council for Scheduled Tribes Development Fund (STDF) each under the chairmanship of Chief Minister, to exercise the powers conferred and to perform the functions assigned to them under the Act and the rules made thereunder. The State Councils shall include such number of members representing the Scheduled Castes and Scheduled Tribes in the State Legislature, as may be prescribed.

6. Functions of the State Councils.- The State Councils shall,-

(a) advise the State Government on all the policy matters relating to Scheduled Castes Development Fund and Scheduled Tribes Development Fund;

(b) suggest measures for proper planning and implementation of the schemes by the Departments; and

(c) perform such other functions as may be prescribed.

7. Empowered Committees and Nodal Department.- (1) The State Government shall constitute Empowered Committees each for the development of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes.

(2) Each Empowered Committee shall be headed by the Chief Secretary.

(3) The constitution of Empowered Committees shall be such as may be prescribed.

(4) (a) The Convener of the Empowered Committee for development of Scheduled Castes shall be the Secretary, Department of Social Justice and Empowerment.

(b) The Convener of the Empowered Committee for development of Scheduled Tribes shall be the Secretary, Department of Tribal Area Development.

Explanation.- For the purpose of this sub-section "Secretary" means the Secretary to the Government incharge of Department and includes an Additional Chief Secretary and a Principal Secretary, when he is incharge of a Department.

(5) The respective Nodal Department shall assist the respective Empowered Committee to perform its functions and exercise its powers.

8. Functions of Empowered Committees.- The respective Empowered Committee with the assistance of the respective Nodal Department shall,-

(a) evaluate and appraise proposals proposed by various line Department to be posed for funding through Scheduled Castes Development Fund (SCDF) and Scheduled Tribes Development Fund (STDF);
(b) review the implementation and monitoring of the Scheduled Castes Sub Plan and Tribal Sub Plan;
(c) identify impediments and suggest measures for overcoming the impediments; and
(d) perform such other functions as may be prescribed.

9. Administrative and Technical Support Unit for the Nodal Department.- The State Government shall appropriately strengthen the Nodal Departments with an Administrative and Technical Support Unit, as may be prescribed, to perform the functions and discharge the duties assigned to it.

Chapter IV
Transparency and Accountability

10. Transparency and Accountability.- Each Department shall ensure transparency and accountability at all levels in the implementation of activities under Scheduled Castes Development Fund and Scheduled Tribes Development Fund.

11. Annual Report.- The Nodal Department shall lay before the House of the State Legislature, an annual report on outcome of implementation of Scheduled Castes Development Fund and Scheduled Tribes Development Fund.

Chapter V
Miscellaneous

12. Power to make rules.- (1) Subject to the other provisions of this Act, the State Government may, by notification, make rules for carrying out the purposes of this Act.

(2) In particular and without prejudice to the generality of the foregoing power, such rules may provide for all or any of the following matters, namely:-

(a) earmarking a certain amount for the Scheduled Castes Development Fund (SCDF) and Scheduled Tribes Development Fund (STDF) under section 3;
(b) norms for, preparation of schemes and proposals and, their approvals under section 4;
(c) constitution of State Councils under section 5;
(d) constitution of Empowered Committees under section 7; and
(e) an Administrative and Technical Support Unit under section 9.

(3) Every rule made under this Act shall be laid, as soon as may be after it is so made, before the House of the State Legislature, while it is in session, for a period of not less than fourteen days which may be comprised in one session or in two or more successive sessions and if before the expiry of the session in which it is so laid or of the session immediately following, the House of the State Legislature makes any modification in the rule or resolves

that the rule should not be made, the rule shall thereafter have effect only in such modified form or be of no effect, as the case may be, so, however, that any such modification or annulment shall be without prejudice to the validity of anything previously done thereunder.

13. Power to remove difficulties.- (1) If any difficulty arises in giving effect to the provisions of the Act, the State Government may, by order, make such provisions or give such directions not inconsistent with the provisions of the Act as may appear to it to be necessary or expedient for the removal of the difficulty:

Provided that no such order shall be made under this section after the expiry of two years from the commencement of this Act.

(2) Every order made under this section shall be laid, as soon as it is made, before the State Legislature.

प्रवीर भटनागर,
Principal Secretary to the Government.

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।